उत्तर प्रदेश शासन
लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2
सं0-89/2015/7624/62-2-2015-2/4(17)/2015टीसी
लखनऊ: दिनांक: 06 अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सी0 के0 चौधरी, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, महोबा को, खण्ड महोबा के साथ-साथ नितांत अस्थाई एवं कामचलाऊ व्यवस्था के अन्तर्गत, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, हमीरपुर के पद का कार्यभार, अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- इस हेतु श्री सी0 के0 चौधरी, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, महोबा को किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता व अन्य वित्तीय लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उक्त व्यवस्था नियमित अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, हमीरपुर की तैनाती होने पर स्वत: समाप्त हो जायेगी।

ह0/

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव।

सं0-89/2015/7624(1)/62-2-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।
4- संबंधित अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त/खण्ड।
5- संबंधित अधिकारी।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/
(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in